

अध्याय-2
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
सरकार के वित्त

अध्याय-2

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त

यह अध्याय वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के वित्त का एक व्यापक परिदृश्य प्रदान करता है और पिछले पांच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में होने वाले परिवर्तन का विश्लेषण करता है।

2.1 वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में प्रमुख बदलाव

यह भाग पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में प्रमुख परिवर्तनों का एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। इनमें से प्रत्येक संकेतक का विश्लेषण आगामी पैराग्राफों में किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में हुए प्रमुख परिवर्तन तालिका 2.1 में दिए गए हैं:

तालिका 2.1: वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियां	✓ राजस्व प्राप्तियों में 9.42 प्रतिशत की कमी। ✓ स्वयं कर प्राप्तियों में 13.34 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ गैर-कर प्राप्तियों में 76.25 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 85.82 प्रतिशत की कमी।
राजस्व व्यय	✓ राजस्व व्यय में 4.33 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 2.19 प्रतिशत की कमी। ✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 3.70 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 3.70 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को क्षतिपूर्ति एवं आबंटन पर व्यय में 20.73 प्रतिशत की वृद्धि।
पूंजीगत प्राप्तियां	✓ ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 100 प्रतिशत की कमी। ✓ गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 92.21 प्रतिशत की कमी।
पूंजीगत व्यय	✓ पूंजीगत व्यय में 15 प्रतिशत की कमी। ✓ सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 24.96 प्रतिशत की कमी। ✓ सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 41.35 प्रतिशत की कमी।

	✓ आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 29.03 प्रतिशत की वृद्धि।
ऋण और अग्रिम	✓ ऋणों और अग्रिमों के संवितरण में 18 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ ऋणों और अग्रिमों की वसूली में 92.21 प्रतिशत की कमी।
सार्वजनिक ऋण	✓ सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों में 100 प्रतिशत की कमी। ✓ सार्वजनिक ऋण की अदायगी में 5.92 प्रतिशत की वृद्धि।

2.2 निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

यह भाग पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. की निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग के घटकों की तुलना करता है। 2022-23 और 2023-24 के दौरान निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग का विवरण तालिका 2.2, चार्ट 2.1 और चार्ट 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: 2022-23 और 2023-24 के दौरान निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

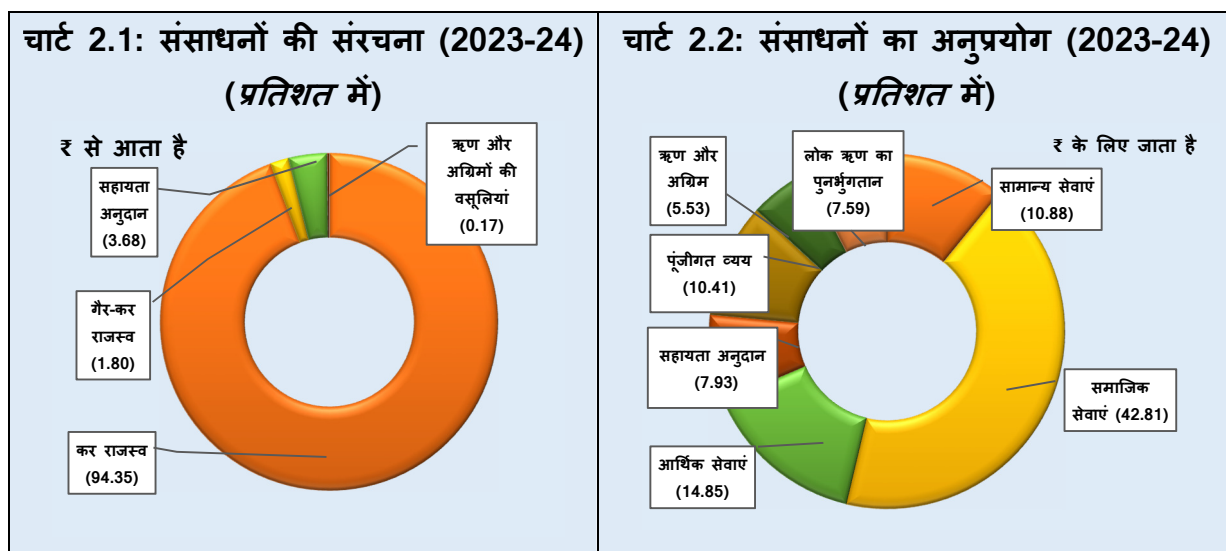
	विवरण	2022-23	2023-24	वृद्धि/कमी (प्रतिशत में)
स्रोत	प्रारंभिक शेष	11,349	14,451	27.33
	राजस्व प्राप्तियां	62,703	56,798	(-) 9.42
	ऋण और अग्रिमों की वसूली	1,258	98	(-) 92.21
	लोक ऋण प्राप्तियां (शुद्ध)	(-) 1,464	(-)4,994 ¹	(-) 241.12
	कुल	73,846	66,353	(-) 10.14
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	48,246	50,336	4.33
	पूंजीगत व्यय	8,065	6,855	(-) 15
	ऋण और अग्रिमों का संवितरण	3,084	3,639	18
	अंतिम शेष ²	14,451	5,523	(-) 61.78
	कुल	73,846	66,353	(-) 10.15

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2023-24 के दौरान राज्य की समेकित निधि में संसाधनों की संरचना और अनुप्रयोग चार्ट 2.1 और चार्ट 2.2 में दिया गया है।

¹ पिछले वर्ष की तुलना में लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 3,251.22 करोड़ (100 प्रतिशत) की कमी के कारण।

² राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का ₹ 5,523 करोड़ का अंतिम शेष मुख्य शीर्ष '8450: संघ शासित प्रदेशों का शेष खाता' के तहत दर्शाया गया है जो संघ नकदी शेष में विलीन हो जाता है।



स्रोत: वित्त लेखे

जबकि रा.रा.क्षे.दि.स. के संसाधनों में कर राजस्व का सबसे बड़ा योगदान रहा, धन बड़े पैमाने पर सामाजिक सेवाओं के लिए उपयोग किया गया था।

2.3 रा.रा.क्षे.दि.स. के संसाधन

रा.रा.क्षे.दि.स. के संसाधनों का वर्णन नीचे किया गया है:

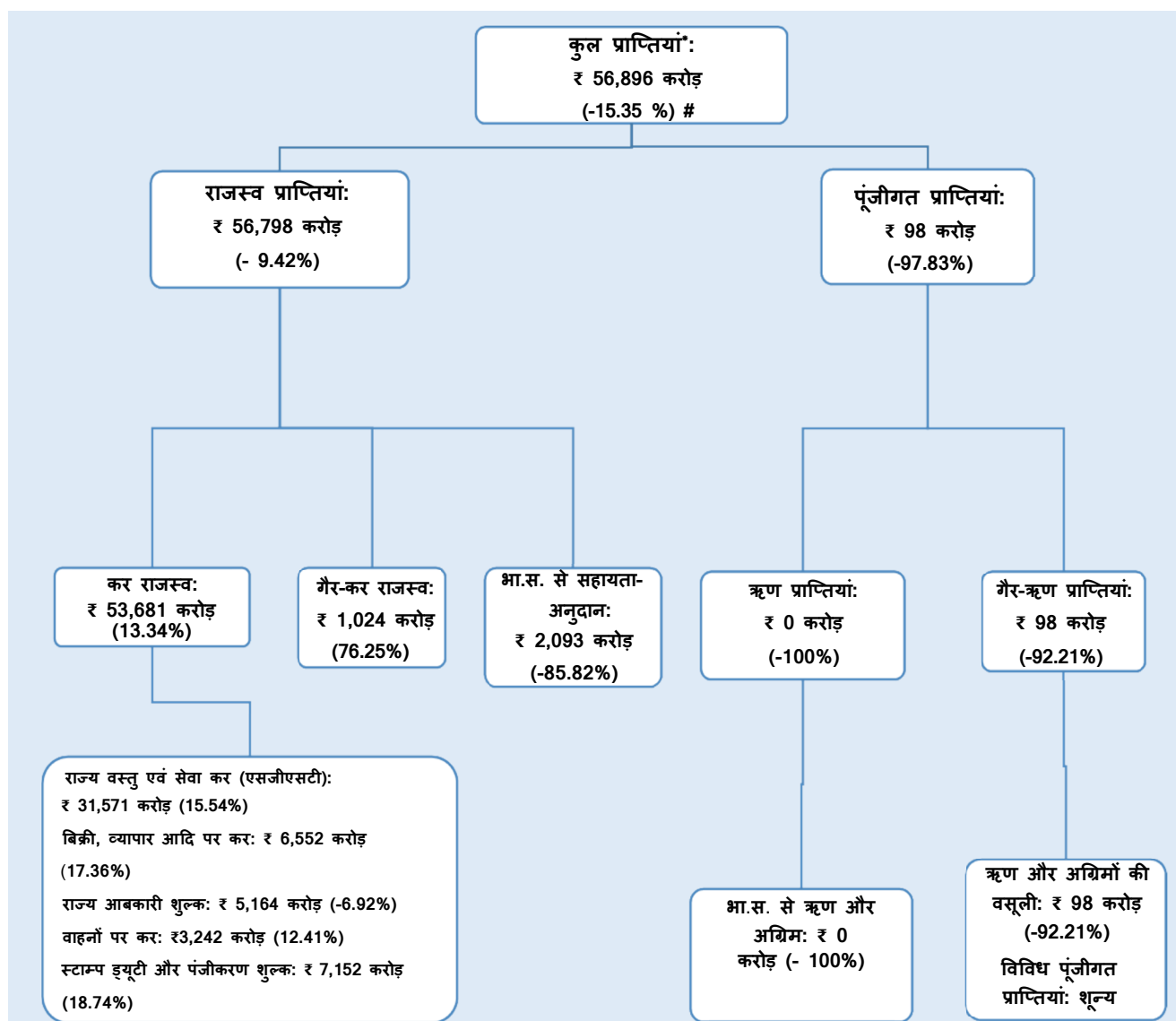
- i. **राजस्व प्राप्तियों में** कर राजस्व, गैर-कर राजस्व और भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल हैं।
- ii. रा.रा.क्षे.दि.स. की **पूँजीगत प्राप्तियों** (ऋण और गैर-ऋण प्राप्तियां) में एसपीएसई आदि को संवितरित ऋणों और अग्रिमों की वसूली, भारत सरकार से ऋण के माध्यम से प्राप्तियां और विविध पूँजीगत प्राप्तियां शामिल हैं।

राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियां दोनों ही रा.रा.क्षे.दि.स. की समेकित निधि का हिस्सा होती हैं।

2.3.1 रा.रा.क्षे.दि.स. की प्राप्तियां

समग्र प्राप्तियों की संरचना चार्ट 2.3 में दी गई है।

चार्ट 2.3: 2023-24 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. की प्राप्तियों की संरचना



स्रोत: वित्त लेखे

* प्रारंभिक शेष और आकस्मिकता निधि को छोड़कर

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर को दर्शाते हैं

इस प्रकार, राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 9.42 प्रतिशत की गिरावट देखी गई और पूंजीगत प्राप्तियों में 97.83 प्रतिशत की गिरावट आई। विस्तृत विश्लेषण नीचे पैरा में है।

2.3.2 रा.रा.क्षे.दि.स. की राजस्व प्राप्तियां

राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे.दि.स. के कर और गैर-कर राजस्व तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल हैं।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां तथा वृद्धि

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि में प्रवृत्तियां, स.रा.घ.उ. की तुलना में राजस्व प्राप्तियां, उत्प्लावकता अनुपात और राजस्व प्राप्तियों की संरचना तालिका 2.3 में दी गई हैं।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व प्राप्तियां (आरआर)	47,136	41,864	49,313 ³	62,703	56,798
आरआर की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.33	(-)11.18	17.79	27.15	(-) 9.42
स्वयं कर राजस्व (क)	36,566	29,425	40,019	47,363	53,681
स्वयं कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-)1.06	(-)19.53	36.00	18.35	13.34
स्वयं गैर-कर राजस्व (ख)	1,097	980	827	581	1,024
स्वयं राजस्व (क + ख)	37,663	30,405	40,846	47,944	54,705
स्वयं राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	1.06	(-)19.27	34.34	17.38	14.10
भा.स. से सहायता अनुदान	9,473	11,459	8,467	14,759	2,093
भा.स. से सहायता अनुदान की वृद्धि दर (प्रतिशत)	62.10	20.96	(-) 26.11	74.31	(-) 85.82
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) (2011-12 श्रेणी) (₹ लाख करोड़ में)	7.93	7.44	8.81	10.15	11.08
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.38	(-) 6.13	18.42	15.13	9.17
आरआर/स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	5.94	5.62	5.60	6.18	5.13
उत्प्लावकता अनुपात ⁴					
स.रा.घ.उ. के संबंध में रा.रा.क्ष. दिल्ली सरकार की स्वयं का कर राजस्व उत्प्लावकता	(-)0.02	3.19	1.95	1.21	1.45

स्रोत: अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्ष.दि.स.।

उपर्युक्त तालिका 2.3 से निम्नलिखित बातें सामने आती हैं:

- (क) उक्त अवधि में स्वयं कर राजस्व में ₹ 17,115 करोड़ (46.81 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2019-20 के ₹ 47,136 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 56,798 करोड़ हो गई, जो 7 प्रतिशत

³ जीएसटी क्षतिपूर्ति, जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत राज्य सरकार का राजस्व है। दिल्ली को रा.रा.क्ष.दि.स. की ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 5,865 करोड़ और ₹ 6,193 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण राज्य के लिए देयता के पुनर्भुगतान किए बिना मिला। इस व्यवस्था के कारण, राजस्व प्राप्ति को जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले ऋण प्राप्ति के साथ जोड़कर पढ़ा जा सकता है।

⁴ उत्प्लावकता अनुपात मूल विभिन्नताओं में दिए गए बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय विभिन्नताओं की जवाबदेही शिथिलता तथा मात्रा को दर्शाता है। उदाहरण के लिए स.रा.घ.उ. के संबंध में स्वयं कर राजस्व उत्प्लावकता 1.45 पर है जिसका तात्पर्य है कि यदि स.रा.घ.उ. में एक प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो स्वयं कर राजस्व प्राप्तियां 1.45 प्रतिशत बिंदु बढ़ जाती हैं।

की वार्षिक औसत वृद्धि दर है। तथापि, वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में कमी मुख्य रूप से भारत सरकार से सहायता अनुदान (स.अ.) में ₹ 12,666.16 करोड़ की कमी के कारण हुई। वास्तव में, रा.रा.क्षे.दि.स. को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बदले ₹ 325 करोड़ के विवेकाधीन अनुदान के लिए कोई विशेष सहायता नहीं मिली और जीएसटी क्षतिपूर्ति की प्राप्ति में भी ₹ 11,679.22 करोड़ (91.12 प्रतिशत) की भारी गिरावट आई, जो कि जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के तहत 5 वर्ष के अंतिम खंड (22.6.2017 से 21.06.2022) के कारण था, जिसके अनुसार राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति केवल जून 2022 तक के राजस्व नुकसान के लिए देय थी।

- (ख) 2019-20 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का लगभग 79.90 प्रतिशत रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधनों से आया, जबकि सहायता अनुदान ने 20.10 प्रतिशत का योगदान दिया। वर्ष 2023-24 में, लगभग 96.32 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधनों से आया, जबकि सहायता अनुदान ने 3.68 प्रतिशत का योगदान दिया।
- (ग) स्वयं कर राजस्व में 2019-20 से 2023-24 (2020-21 को छोड़कर) तक वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई। पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष 2023-24 में ₹ 6,318 करोड़ (13.34 प्रतिशत) की वृद्धि एसजीएसटी (₹ 4,247 करोड़) की प्राप्तियों में वृद्धि तथा स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क (₹ 1,129 करोड़) के अंतर्गत बढ़ी हुई प्राप्तियों के कारण हुई।
- (घ) कुल राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे.दि.स. के स्वयं कर राजस्व का हिस्सा 2019-20 के 77.58 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 94.51 प्रतिशत हो गया। इसका कारण उक्त अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (20.50 प्रतिशत) की तुलना में स्वयं कर राजस्व की वृद्धि दर (46.81 प्रतिशत) में वृद्धि होना है।
- (ङ) 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि के पांच वर्षों में रा.रा.क्षे. दिल्ली के स.रा.घ.उ. में 39.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार से सहायता अनुदान की प्राप्ति में कमी के कारण चालू वर्ष में स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना

में कम हुई है। स.रा.घ.उ. के संबंध में राज्य की स्वयं कर राजस्व उत्प्लावकता 2019-20 के (-) 0.02 से बढ़कर 2023-24 में 1.45 हो गई।

2.3.2.2 रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधन

संसाधनों के संग्रह में रा.रा.क्षे.दि.स. के निष्पादन का मूल्यांकन उनके अपने संसाधनों के संदर्भ में किया जाता है जिसमें इसके स्वयं कर और गैर-कर राजस्व शामिल होते हैं।

स्वयं कर राजस्व

रा.रा.क्षे.दि.स. के स्वयं कर राजस्व में राज्य जीएसटी, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क, भूमि राजस्व आदि सम्मिलित होते हैं। 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि के दौरान स्वयं कर राजस्व के संघटकों की प्रवृत्ति तालिका 2.4 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.4: रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के स्वयं कर राजस्व के संघटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	स्पाक लाइन
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	19,465	15,676	22,263	27,324	31,571	
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	5,475	4,411	5,099	5,582	6,552	
राज्य उत्पाद शुल्क	5,068	4,108	5,488	5,548	5,164	
वाहनों पर कर	1,948	1,676	1,956	2,884	3,242	
स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क	4,606	3,549	5,212	6,023	7,152	
भू-राजस्व	3	4	0	0	0	
अन्य कर	1	1	1	2	0	
कुल	36,566	29,425	40,019	47,363	53,681	

पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में एसजीएसटी संग्रह में ₹ 4,247 करोड़ (15.54 प्रतिशत) की वृद्धि (उपर्युक्त तालिका 2.4 के अनुसार) मुख्य रूप से एसजीएसटी और आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹ 822 करोड़ के क्रॉस

उपयोग में वृद्धि तथा पिछले वर्ष की तुलना में आईजीएसटी आबंटन में ₹ 2,332 करोड़ की वृद्धि के कारण थी।

अनुमानों की तुलना में वास्तविक कर राजस्व में भिन्नता

इसके अतिरिक्त, जैसा कि परिशिष्ट 2.1 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है, (i) बजट अनुमान के संबंध में कर राजस्व के उपर्युक्त घटकों के वास्तविक आंकड़ों में भिन्नता (-) 100 से 19.26 प्रतिशत तक रही, जिसमें अधिकतम भूमि राजस्व {(-) 100 प्रतिशत} और राज्य उत्पाद शुल्क {(-) 29.88 प्रतिशत} के अंतर्गत दर्ज की गई और (ii) संशोधित अनुमान (-) 100 प्रतिशत से 0.73 प्रतिशत तक रही, जिसमें अधिकतम 'अन्य कर' {(-) 100 प्रतिशत} के अंतर्गत दर्ज की गई।

आरबीआई के लेख के अनुसार एसजीएसटी की राशि ₹ 31,571 करोड़ थी जो रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेख में दर्शाए गए विवरण से मेल खाती थी।

एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी)

रा.रा.क्षे.दि.स. से आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट तथा एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के क्रॉस उपयोग के आधार पर केंद्र द्वारा संग्रहित आईजीएसटी के निपटान के प्रति निधियां प्राप्त करती हैं, जिसको एसजीएसटी के अंतर्गत लेखाबद्ध किया जाता है। 2021-2024 की अवधि के दौरान प्राप्त धन का विवरण तालिका 2.5 में दिया गया है।

तालिका 2.5: 2021-22 से 2023-24 की अवधि के लिए आईजीएसटी प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2021-22	2022-23	2023-24
इनपुट टैक्स क्रेडिट	3,761	6,389	7,210
आईजीएसटी का विभाजन (कर)	6,820	7,289	9,610
आईजीएसटी का विभाजन (ब्याज)	5	19	30
आईजीएसटी का अग्रिम विभाजन	1,413	968	(-) 332
कुल	11,999	14,665	16,518

राजस्व के बकाए

राजस्व के बकाए सरकार को देय/भुगतान योग्य राजस्व की देरी से प्राप्ति को दर्शाते हैं। व्यापार और कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दी गई सूचना के

अनुसार, मुख्य शीर्ष '0040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर' के तहत 31 मार्च 2024 तक राजस्व की बकाया राशि ₹ 68,940 करोड़ थी जिस में से ₹ 34,911 करोड़ की राशि पांच वर्षों से अधिक के लिए बकाया थी।

मूल्यांकन का बकाया

मूल्यांकन के बकाया संभावित राजस्व को दर्शाते हैं, जो विलंबित मूल्यांकन के कारण अवरुद्ध है। 2023-24 के दौरान, मूल्यांकन के लिए बकाया मामलों की संख्या 31,817 थी जिन्हें वित्त वर्ष के अंत तक पूरी तरह से निपटा दिया गया था।

विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन, प्रतिदाय के मामले इत्यादि का विवरण

आबकारी और कर विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामले, अंतिम रूप दिए गए मामले और उद्घृत किए गए अतिरिक्त कर हेतु मांग राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण के प्रयत्नों के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। प्रतिदाय के मामले के निपटान में तत्परता विभाग के निष्पादन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2023-24 के लिए पता लगाए गए कर के अपवंचन के मामले और प्रतिदाय मामलों का विवरण क्रमशः तालिका 2.6 और तालिका 2.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: पता लगाए गए कर के अपवंचन

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2023 तक लंबित मामले	2023-24 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें मूल्यांकन/जांच पूरी हो गई है और अतिरिक्त मांग के साथ उद्घृत किए गए जुर्माने इत्यादि		31 मार्च 2024 तक अपील के अधीन लंबित मामलों की संख्या
				मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
जीएसटी	291	47	338	07	0.97	331

स्रोत: व्यापार और कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

तालिका 2.7: वर्ष 2023-24 के लिए प्रतिदाय मामलों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	जीएसटी		बिक्री कर/वैट	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	4,631	1,493.17	4,688	854.56
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	7,771	1,441.11	228	20.33
3	वर्ष के दौरान किए गए प्रतिदाय*	5,137	366.13	1,741	88.93
4	वर्ष के दौरान अस्वीकृत/सेटऑफ/समायोजित प्रतिदाय		84.70	684#	11.13
5	वर्ष के अंत में बकाया शेष	7,265	2,483.45	3,175	774.83

*अनंतिम प्रतिदाय, समायोजित/अंतरित प्रतिदाय को छोड़कर

684 मामले प्रतिदाय (क्रम संख्या 3 में शामिल) और सेट-ऑफ (क्रम संख्या 4 में दिखाए गए) का प्रतिनिधित्व करते हैं।

गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और लाभ, विभागीय प्राप्तियां आदि शामिल हैं। रा.रा.क्षे.दि.स. के गैर-कर राजस्व और प्रवृत्तियों के संघटक तालिका 2.8 में दिए गए हैं।

तालिका 2.8 रा.रा.क्षे.दि.स. के गैर-कर राजस्व के संघटक

राजस्व शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
ब्याज प्राप्तियां	404	468	356	58	376
लाभांश और लाभ	16	10	90	104	175
अन्य गैर-कर राजस्व प्राप्तियां	677	502	381	419	473
क) लोक निर्माण	13	43	23	43	15
ख) शिक्षा	27	79	10	8	95
ग) चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	112	95	97	116	111
घ) पावर	87	33	52	61	59
ड.) अन्य आदि	438	252	199	191	193
कुल गैर-कर राजस्व	1,097	980	827	581	1,024

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.8 के अनुसार, गैर-कर राजस्व में 2019-20 से 2022-23 के दौरान लगातार कमी दर्ज की गई। तथापि, चालू वर्ष के दौरान इसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 443 करोड़ (76.25 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण ब्याज प्राप्तियों में ₹ 318 करोड़ (548.28 प्रतिशत) की वृद्धि था।

इसके अतिरिक्त, 2019-20 से 2022-23 के दौरान अन्य गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में ₹ 204 करोड़ (30.14 प्रतिशत) की कमी आई। तथापि वर्ष 2023-24 के दौरान इसमें ₹ 54 करोड़ की मामूली वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से 'माध्यमिक शिक्षा (₹ 56 करोड़) और खेल और युवा सेवाएं (₹ 36 करोड़)' से बढ़ी हुई प्राप्तियों के कारण थी।

वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित अनुमान की तुलना में रा.रा.क्षे.दि.स. का वास्तविक स्वयं गैर-कर राजस्व नीचे तालिका 2.9 में दर्शाया गया है:

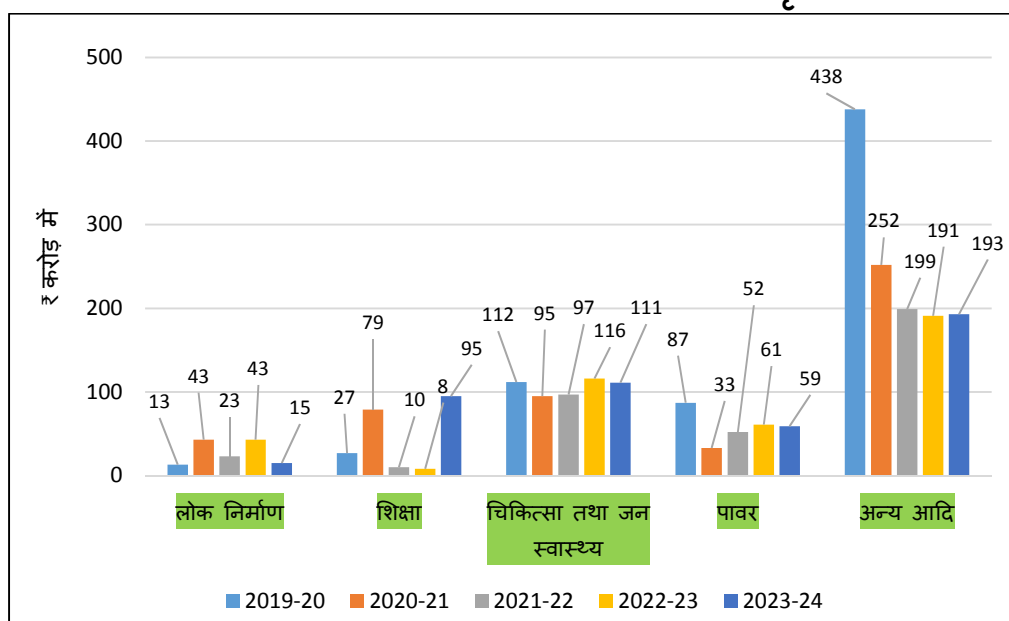
तालिका 2.9: वर्ष 2023-24 के लिए सं.अ. की तुलना में रा.रा.क्षे.दि.स. का वास्तविक स्वयं गैर-कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

गैर-कर राजस्व शीर्ष	सं.अ. (प्राप्तियों के बजट 2024-25 के अनुसार)	वास्तविक	सं.अ. और वास्तविक के बीच अंतर	सं.अ. में (+) अधिकाता/(-) कमी का प्रतिशत
ब्याज प्राप्तियां	485	376	(-) 109	(-) 22.47
लाभांश और लाभ	90	175	(+) 85	(+) 94.44
अन्य गैर-कर राजस्व प्राप्तियां	786	473	(-) 313	(-) 39.82
कुल	1,361	1,024	(-) 337	(-) 24.76

अन्य गैर-कर राजस्व प्राप्तियों के कुछ शीर्षों में प्रवृत्तियां चार्ट 2.4 में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 2.4: 'अन्य गैर-कर राजस्व' के शीर्षों में प्रवृत्तियां



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.3.2.3 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार ने 2018-19 के दौरान राज्यों को सहायता अनुदान (स.अ.) उपलब्ध कराए जाने के लिए योजना और गैर-योजना वर्गीकरण को बंद कर दिया। वर्ष 2023-24 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. को भा.स. से ₹ 2,093 करोड़ का सहायता अनुदान (स.अ.) प्राप्त हुआ, जो ₹ 8,137 करोड़ के बजट अनुमान का 25.72 प्रतिशत है। भा.स. से प्राप्त स.अ. का विवरण तालिका 2.10 में है:

तालिका 2.10: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस)	1,169.48	1,441.46	991.93	981.79	955.34
सामान्य केंद्रीय सहायता (ब्लॉक अनुदान)	472.00	626.00	626.00	626.00	शून्य
अन्य अनुदान	70.56	शून्य	3.43	9.49	शून्य
केंद्रीय करों में हिस्से के बदले अनुदान	325.00	325.00	325.00	325.00	शून्य
जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति	7,436.00	5,521.65	6,445.96	12,817.02	1,137.80
दिल्ली आपदा प्रतिक्रिया निधि में योगदान	शून्य	161.49	शून्य	शून्य	शून्य
राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए अनुदान	शून्य	3,383.00	शून्य	शून्य	शून्य
प्राकृतिक आपदाओं के कारण सहायता के लिए अग्रिम सहायता के रूप में अनुदान	शून्य	शून्य	75.00	शून्य	0.00
कुल	9,473.04	11,458.60	8,467.32	14,759.30	2,093.14
राजस्व प्राप्तियों में स.अ. की प्रतिशतता	20.10	27.37	17.17	23.54	3.68

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जीएसटी अधिनियम 2017 में सनसेट खंड के कारण, राजस्व हानि के लिए राज्य सरकारों को भुगतान किया जा रहा जीएसटी मुआवजा जून 2022 को बंद हो गया। इस प्रकार, भारत सरकार से प्राप्त मुआवजे (जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले राजस्व नुकसान के लिए) में कमी आई और पिछले वर्ष के दौरान ₹ 12,817.02 करोड़ के स्थान पर 2023-24 के दौरान ₹ 1,137.80 करोड़ रह गया। परिणामस्वरूप, चालू वर्ष में भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के कुल आंकड़ों में ₹ 12,666.16 करोड़ (85.82 प्रतिशत) कम हो गए।

दिल्ली केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत नहीं आती है तथा केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्य के हिस्से के बदले सहायता अनुदान (2001-02 से ₹ 325 करोड़) मिलता है। चालू वर्ष में, उक्त सहायता अनुदान प्राप्त नहीं हुआ।

2.3.2.4 केंद्र प्रायोजित योजनाएं

केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत भा.स. से प्राप्त सहायता अनुदान के उपयोग को सत्यापित करने के लिए विस्तृत अध्ययन के लिए पांच योजनाओं का चयन किया गया था।

केंद्र प्रायोजित योजनाएं	31.3.2024 को अव्ययित शेष (उपलब्ध निधियों की प्रतिशतता)	एसएनए खाते में केंद्रीय/राज्य के हिस्से के अंतरण में विलंब (परिहार्य ब्याज दर @ 7 प्रतिशत प्रति वर्ष)	अर्जित ब्याज का प्रेषण नहीं किया गया/गलत तरीके से प्रेषण किया गया
		फरवरी 2023 के भारत सरकार के दिशानिर्देशों के तहत अनुपालन आवश्यक है	जून 2021 के भारत सरकार के दिशानिर्देशों के तहत अनुपालन आवश्यक है
(i) सक्षम आंगनवाड़ी और (ii) पोषण 2.0	₹ 11.06 करोड़ (66.48%)	15 दिन (₹ 4.78 लाख)	₹ 12.42 लाख
(iii) मिशन वात्सल्य	₹ 177.66 लाख (अतिरिक्त)	9 महीने (₹ 40.27 लाख)	₹ 24.15 लाख
(iv) शहरी परिवर्तन के कार्याकल्प के लिए अटल मिशन (अमृत 1.0 और 2.0)	₹ 154.09 करोड़ (75 प्रतिशत) (अमृत 1.0) ₹ 67.69 करोड़ (32 प्रतिशत) (अमृत 2.0)	47 दिन (₹ 1.40 करोड़) (अमृत 1.0)	-
(v) दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षित शहर परियोजना	₹ 130.45 करोड़ (100%)	78 दिन (₹ 1.09 करोड़)	-

इस प्रकार, लेखापरीक्षा में जांच की गई नमूना योजनाओं के लिए विभागों द्वारा प्राप्त कुल धनराशि का 29 प्रतिशत खर्च नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, इन योजनाओं के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा केंद्र/राज्य के शेषों के हस्तांतरण में देरी के कारण, योजनाओं के लिए प्रासंगिक नियमों के अनुसार, राज्य सरकारों को 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लागत वहन करनी पड़ी। इस प्रकार, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा ₹ 2.94 करोड़ की परिहार्य ब्याज देनदारी सृजित की गई थी, जिसे अभी भारत सरकार के खाते में प्रेषित किया जाना है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के दिशानिर्देश 2021 के अनुसार, सरकारी अंतरण पर अर्जित ब्याज को भारत की समेकित निधि (सीएफआई) में वापस भेजना था। तथापि, लेखापरीक्षा में जांच की गई पांच योजनाओं के लिए ₹ 36.57 लाख का अर्जित ब्याज सीएफआई में वापस नहीं भेजा गया था।

- **सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0** योजनाओं के संबंध में, महिला और बाल विकास विभाग (डीडब्ल्यूसीडी) ने उत्तर दिया (सितंबर 2024, अक्टूबर 2024) कि यह:

- (i) विलंब के मुद्दे का समाधान और योजना की प्रभावकारिता में सुधार करेगा।

- (ii) भविष्य में देरी से बचने के लिए विभागों के बीच बातचीत और समन्वय को बढ़ाएगा।
- (iii) भविष्य में देरी से बचने के लिए ब्याज गणना और प्रस्तुत करने के लिए उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं की समीक्षा और परिशोधन करेगा।
- **मिशन वात्सल्य** योजना के संबंध में, डीडब्ल्यूसीडी ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि सीएफआई को अर्जित ब्याज के केंद्रीय हिस्से की जमा प्रक्रिया चल रही थी और जनवरी 2024 में वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. की मंजूरी प्राप्त करने के बाद उक्त राशि एसएनए को हस्तांतरित कर दी गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि डीडब्ल्यूसीडी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंदर राशि का अंतरण करने के लिए हर प्रयास किया जाना चाहिए था।
- **अमृत** योजना के तहत अव्ययित शेष राशि के संबंध में, शहरी विकास विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2024) कि शहरी स्थानीय निकायों (डीजेबी और एमसीडी) ने अमृत 1.0 के तहत परियोजनाओं को 31 मार्च 2025 तक पूरा करने का आश्वासन दिया था।

इसके अतिरिक्त, चयनित केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के अंतर्गत देखी गई अन्य टिप्पणियां निम्नानुसार हैं

क) सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0

- i. भारत सरकार से सीएसएस पर प्राप्त धन पर अर्जित ब्याज ₹ 12.42 लाख को निर्दिष्ट लेखा शीर्ष यानी मुख्य शीर्ष 0049, उप-मुख्य शीर्ष-02, लघु शीर्ष 800 (यानी 0049-02-800) के बजाय गलत लेखा शीर्ष '0235608010170- सक्षम आंगनवाड़ी डब्ल्यूसीडी' में सीएफआई को हस्तांतरित कर दिया गया (अगस्त 2024)। यह भारत सरकार के दिशानिर्देशों (जून 2021) का उल्लंघन है।

डीडब्ल्यूसीडी का उत्तर (सितंबर 2024) कि पीएओ-डब्ल्यूसीडी द्वारा पीएफएमएस पोर्टल पर प्रदान की गई मैपिंग के अनुसार ब्याज बुक किया गया था, मान्य नहीं है क्योंकि ब्याज को उपर्युक्त दिशानिर्देशों की अपेक्षा के अनुसार जमा किया जाना है।

ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम)

- (i) आईजीएनओएपी योजना (एनएसएपी का एक घटक होने के नाते) के तहत समाज कल्याण विभाग (डीएसडब्ल्यू) द्वारा प्राप्त केंद्रीय हिस्से के संबंध में 31 मार्च 2022 तक ₹ 13.21 करोड़ की राशि अव्ययित शेष राशि के रूप में पड़ी थी और भा.स. के दिशानिर्देशों (जुलाई 2022) के उल्लंघन में एसएनए को हस्तांतरित नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, उक्त धनराशि 02 फरवरी 2024 को भा.स. को वापस कर दी गई और 31 मार्च 2024 तक सीएसएस के लिए भा.स. से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई।
- (ii) भा.स. के दिनांक 23 मार्च 2021 के दिशा निर्देशों के बिंदु संख्या 11 के अनुसार, प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना के लिए केंद्र और राज्य के हिस्से के लिए अनुदान की विस्तृत मांगों (डीडीजी) में अलग-अलग बजट लाइनें बनाई जानी थीं।

समाज कल्याण विभाग ने आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत प्राप्त केंद्रीय सहायता के लिए टॉप-अप प्रदान किया और राज्य के लेखा शीर्ष के अंतर्गत संपूर्ण राशि (केंद्रीय सहायता और राज्य टॉप-अप) '2235.02.104.66.00.49-वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना-वृद्धावस्था सहायता का विस्तार' के अंतर्गत बुक किया, जो उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था।

विभाग से अभ्युक्तियों के उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी, 2025)।

2.3.2.5 एकल नोडल एजेंसी

वर्ष 2023-24 के लिए पीएफएमएस पोर्टल की रिपोर्ट की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित नोट किया:

- i. पीएफएमएस पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारत सरकार द्वारा राज्य के खजाने में ₹ 951.87 करोड़ जारी किए गए थे, परंतु 2023-24 में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा एसएनए खाते में केवल ₹ 947.20 करोड़ हस्तांतरित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.67 करोड़ का कम हस्तांतरण हुआ। सात सीएसएस में, भारत सरकार ने रा.रा.क्षे.दि.स. को ₹ 284.22 करोड़ हस्तांतरित किए जिसके प्रति

राज्य सरकार ने राज्य कोषागार/पीएओ को केवल ₹ 85.01 करोड़ जारी किए, जिसके परिणामस्वरूप राज्य कोषागार में ₹ 199.21 करोड़ का अल्प अंतरण हुआ।

- ii. पीएफएमएस एसएनए 01 रिपोर्ट के अनुसार, 2023-24 के दौरान एसएनए खातों में ₹ 842.21 करोड़ की अव्ययित शेष राशि थी।
- iii. रा.रा.क्षे.दि.स. ने आनुपातिक राज्य के हिस्से के संबंध में चार सीएसएस में ₹ 18.31 करोड़ की निधियों का अल्प-अंतरण किया।
- iv. एसएनए खातों में केंद्रीय शेयर स्थानांतरित करने में 31 से 365 दिनों तक की देरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में दंडात्मक ब्याज के रूप में ₹ 5.44 करोड़ की परिहार्य और अभी तक न चुकाई गई देनदारी हुई।

2.3.3 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की वसूली (गैर-ऋण) तथा भारत सरकार से ऋण और अग्रिमों (ऋण) की प्राप्तियां शामिल हैं। पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों का विवरण तालिका 2.11 में दिया गया है।

तालिका 2.11: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि और संरचना में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

रा.रा.क्षे.दि.स. की प्राप्तियों के स्रोत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
पूंजीगत प्राप्तियां (ऋण और गैर-ऋण)	5,588	15,996	11,816	4,509	98
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम (ऋण) [#]	4,765	15,365	11,193	3,251	0
ऋण और अग्रिमों की वसूली (गैर-ऋण)	823	631	623	1,258	98
आंतरिक ऋण ⁵	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वृद्धि दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर ^{###}	65.45	99.37	(-) 47.37	(-) 34.98	(-) 100
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-)49.94	(-)23.33	(-)1.27	101.93	(-) 92.21
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर	7.38	(-)6.13	18.42	15.13	9.17
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	23.52	186.26	(-)26.13	(-)61.84	(-) 97.83

स्रोत: अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी निदेशालय और संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

[#] वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान, इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले भारत सरकार से बैंक टू बैंक ऋण के रूप में क्रमशः ₹ 5,865 करोड़ और ₹ 6,193 करोड़ शामिल हैं, जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है। ^{###} वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर की गणना उपर्युक्त जीएसटी क्षतिपूर्ति को छोड़कर की गई है।

⁵ रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का कोई आंतरिक ऋण नहीं है।

गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 92.21 प्रतिशत कमी हुई जिसका मुख्य कारण ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में कमी थी।

2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

उप-पैराओं के साथ इस पैराग्राफ में राज्य में व्यय के आबंटन का विश्लेषण दिया गया है।

2.4.1 व्यय की वृद्धि और संरचना

पिछले पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) में कुल व्यय की प्रवृत्तियां और संरचना तालिका 2.12 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.12: कुल व्यय और इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल व्यय (कु.व्य.) ⁶	48,375	49,203	56,957	59,395	60,830
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	39,637	40,414	46,043	48,246	50,336
पूंजीगत व्यय (पू.व्य.)	5,472	4,699	8,311	8,065	6,855
ऋण और अग्रिम (ऋ. एवं अ.)	3,266	4,090	2,603	3,084	3,639
स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में					
कु.व्य./स.रा.घ.उ.	6.10	6.61	6.46	5.85	5.49
रा.व्य./स.रा.घ.उ.	5.00	5.43	5.22	4.75	4.54
पू.व्य./स.रा.घ.उ.	0.69	0.63	0.94	0.79	0.62
ऋ. एवं अ./स.रा.घ.उ.	0.41	0.55	0.30	0.30	0.33

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपर्युक्त तालिका 2.12 से देखा जा सकता है कि कुल व्यय 4.69 प्रतिशत⁷ की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) पर ₹ 48,375 करोड़ (2019-20) से लगातार बढ़कर ₹ 60,830 करोड़ (2023-24) हो गया।

इसी प्रकार, राजस्व व्यय 4.90 प्रतिशत⁸ के सीएजीआर पर ₹ 39,637 करोड़ (2019-20) से लगातार बढ़कर ₹ 50,336 करोड़ (2023-24) हो गया और स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में यह पिछले दो वर्षों से गिर गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत कम हो

⁶ लोक ऋण के पुनर्भुगतान को छोड़कर

⁷ $\left(\left(\frac{60,830}{48,375}\right)^{(1/5)}-1\right)*100$

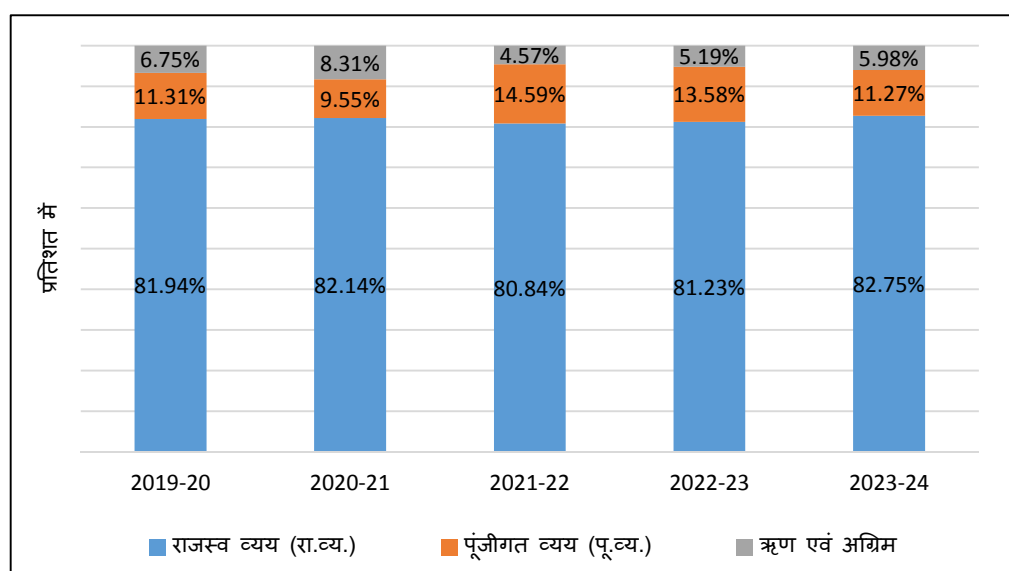
⁸ $\left(\left(\frac{50,336}{39,637}\right)^{(1/5)}-1\right)*100$

गया, परंतु स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में यह वर्ष 2021-22 में 0.94 प्रतिशत के उच्च स्तर से घटकर वर्ष 2023-24 में 0.62 प्रतिशत हो गया। इसके अतिरिक्त, सड़क परिवहन (₹ 694.50 करोड़) के लिए ऋणों के संवितरण में वृद्धि के कारण चालू वर्ष में ऋण और अग्रिमों के वितरण में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 555 करोड़ (18 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है।

व्यय के घटकों के हिस्सेदारी में प्रवृत्तियां

कुल व्यय के घटकों के हिस्सेदारी में प्रवृत्तियां (लोक ऋण पुनर्भुगतान को छोड़कर) चार्ट 2.5 में दर्शाई गई हैं। राजस्व व्यय कुल व्यय का 82.75 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय और ऋण और अग्रिमों का संवितरण क्रमशः 11.27 प्रतिशत और 5.98 प्रतिशत था।

चार्ट 2.5: कुल व्यय: इसके घटकों की हिस्सेदारी में प्रवृत्तियां



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का आनुपातिक हिस्सा

व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का आनुपातिक हिस्सा तालिका 2.13 में दर्शाया गया है। कुल व्यय (लोक ऋण को छोड़कर) में सामान्य सेवाओं का हिस्सा 2022-23 के 13.38 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 12.55 प्रतिशत हो गया।

**तालिका 2.13: कुल व्यय में से विभिन्न क्षेत्रों का आनुपातिक हिस्सा
(लोक ऋण पुनर्भुगतान को छोड़कर)**

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सामान्य सेवाएं ⁹	7,472 (15.45)	6,541 (13.29)	7,327 (12.86)	7,947 (13.38)	7,631 (12.55)
सामाजिक सेवाएं ¹⁰	25,717 (53.16)	25,362 (51.55)	31,356 (55.05)	31,743 (53.45)	30,860 (50.73)
आर्थिक सेवाएं ¹¹	8,041 (16.62)	10,298 (20.93)	12,203 (21.42)	12,297 (20.70)	13,481 (22.16)
अन्य (स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान और अंशदान तथा रा.रा.क्षे.दि.स. की संस्थाओं, विभागों आदि को ऋण एवं अग्रिम)	7,145 (14.77)	7,002 (14.23)	6,071 (10.66)	7,408 (12.47)	8,858 (14.56)

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित वर्ष के लिए कुल व्यय में क्षेत्रीय घटक के प्रतिशत के हिस्से को दर्शाते हैं।

2023-24 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं की हिस्सेदारी में कमी आई है, जिसका मुख्य कारण तकनीकी शिक्षा और सामाज कल्याण एवं पोषण पर व्यय में ₹ 421.39 करोड़ (8.94 प्रतिशत) की कमी है। इसी प्रकार, सड़क परिवहन पर व्यय में क्रमशः ₹ 738.05 करोड़ (13.12 प्रतिशत) की वृद्धि और सड़क परिवहन के लिए ऋणों के संवितरण में ₹ 694.50 करोड़ (694.50 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण आर्थिक सेवाओं और स्थानीय निकायों को ऋण और अग्रिम और अनुदान के वितरण में पिछले वर्ष (2022-23) की तुलना में वृद्धि हुई।

2.4.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य के आधारभूत और सेवा नेटवर्क में कोई परिवर्धन नहीं होता है।

तालिका 2.14 के अनुसार, राजस्व व्यय पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) में 6.51 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर से बढ़ा, जबकि स.रा.घ.उ. में इसकी

⁹ इसमें प्रशासनिक और राजकोषीय सेवाएं जैसे भू-राजस्व, आबकारी शुल्क और जीएसटी, पुलिस, जेल, लोक निर्माण आदि शामिल हैं।

¹⁰ इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास, शहरी विकास, श्रमिक कल्याण, सामाज कल्याण आदि शामिल हैं।

¹¹ इसमें कृषि और संबद्ध गतिविधियां, ग्रामीण विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण आदि शामिल हैं।

हिस्सेदारी 5 प्रतिशत (2019-20) से घटकर 4.54 प्रतिशत (2023-24) हो गई। वर्ष 2023-24 के दौरान, राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 4.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण सामान्य शिक्षा पर व्यय में ₹ 1,271.15 करोड़ (10.41 प्रतिशत) की वृद्धि है।

तालिका 2.14: राजस्व व्यय - मूल मापदंड

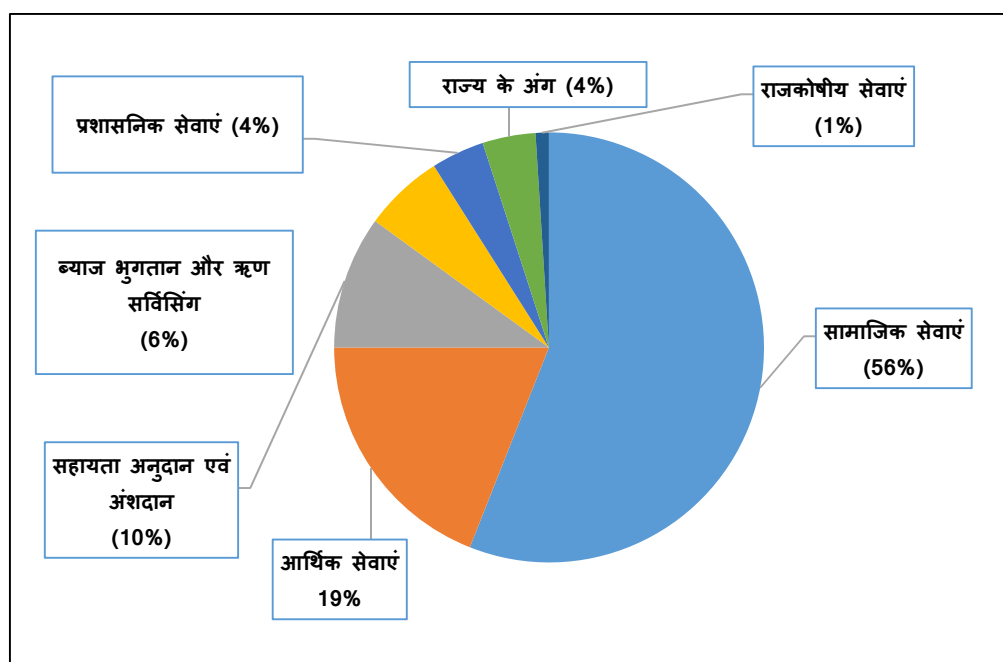
(₹ करोड़ में)

मापदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल व्यय (कु.व्य.)	48,375	49,203	56,957	59,395	60,830
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	39,637	40,414	46,043	48,246	50,336
पिछले वर्ष की तुलना में रा.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.56	1.96	13.93	4.78	4.33
कु.व्य. की प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय	81.94	82.14	80.84	81.23	82.75
स.रा.घ.उ. (2011-12 शृंखला) (₹ लाख करोड़ में)	7.93	7.44	8.81	10.15	11.08
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.38	(-6.13)	18.42	15.13	9.17
रा.व्य./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	5.00	5.43	5.22	4.75	4.54
राजस्व प्राप्त के प्रतिशत के रूप में रा.व्य.	84.09	96.54	93.37	76.94	88.62

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2023-24 की अवधि के लिए राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण चार्ट 2.6 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.6: 2023-24 के लिए राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण (प्रतिशत में)



2.4.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख बदलाव

2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत राजस्व व्यय में भिन्नता तालिका 2.15 में दर्शाई गई है:

तालिका 2.15: 2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान मुख्य शीर्षों में राजस्व व्यय में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2022-23	2023-24	भिन्नता	वृद्धि (+) / कमी (-) (प्रतिशत में)
2202-सामान्य शिक्षा	12,211	13,483	1,271	10.41
3055-सड़क परिवहन	4,601	4,917	316	6.86
2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1,747	1,828	81	4.64
2801-पावर	3,182	3,270	88	2.76
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	6,401	6,573	172	2.68

उपर्युक्त तालिका 2.15 से यह देखा जा सकता है कि सामान्य शिक्षा, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और स्वच्छता, सड़क परिवहन और पावर में पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के व्यय में अंतर निम्नलिखित पर व्यय में वृद्धि के कारण 2.68 से 10.41 प्रतिशत के बीच था: (i) प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य योजनाओं के लिए स्थानीय निकायों को सहायता (ii) सीवरेज और स्वच्छता (iii) सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को बढ़ी हुई सहायता; और (iv) पावर का पारेषण और वितरण।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते में रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रतिबद्ध व्यय में वेतन और मजदूरी, पेंशन और ब्याज भुगतान पर व्यय शामिल हैं। सरकारी संसाधनों पर यह पहला अधिकार है। प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति सरकार को विकास क्षेत्र के लिए कम लचीलेपन के साथ छोड़ देती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, व्यय की कतिपय अपरिवर्तनीय मदें हैं जिन्हें सामान्यतः परिवर्तित नहीं किया जा सकता है अथवा जो सांविधिक रूप से वार्षिक आधार पर अपेक्षित हैं, न तो पूंजीगत व्यय आदि जैसे परिवर्तनीय लेन-देनों के लिए। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित मदों को अपरिवर्तनीय व्यय माना जा सकता है:

- (i) आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति
- (ii) प्राप्त केंद्रीय निधि के प्रति सीएसएस के लिए राज्य के हिस्से का अंशदान
- (iii) प्रभारित व्यय के रूप में सार्वजनिक ऋण पर ब्याज का भुगतान

- (iv) आरक्षित निधि में सांविधिक अंशदान
(v) उपकर का आरक्षित निधि में अंतरण
(vi) स्थानीय निकायों को अंतरण- वेतन और भत्तों के लिए स्थानीय निकायों को सांविधिक अंतरण (पूँजीगत व्यय के लिए हस्तांतरण/अंतरण)

प्रतिबद्ध और अपरिवर्तनीय व्यय के घटक तालिका 2.16 में दिए गए हैं:

तालिका 2.16: प्रतिबद्ध और अपरिवर्तनीय व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वेतन और मजदूरी	11,070.04	11,810.19	12,878.34	14,214.93	15,017.82
पेंशन पर व्यय*	3.56	2.67	3.28	2.76	4.37
ब्याज भुगतान	2,751.87	2,873.83	3,274.24	3,266.36	3,094.31
कुल	13,825.47	14,686.69	16,155.86	17,484.05	18,116.50
अपरिवर्तनीय व्यय के घटक					
आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति	143.41	79.08	74.18	52.13	7.24
प्राप्त केंद्रीय निधि के प्रति सीएसएस के लिए राज्य के हिस्से का अंशदान	2,772.52	2,868.04	3,207.42	3,768.96	2,299.65
प्रभारित व्यय के रूप में सार्वजनिक ऋण पर ब्याज का भुगतान	2,751.87	2,873.83	3,274.24	3,266.36	3,094.31
स्थानीय निकायों को सांविधिक अंतरण	6,237.00	5,515.00	5,501.00	7,580.00	8,596.00
कुल	11,904.80	11,335.95	12,056.84	14,667.45	13,997.20
राजस्व प्राप्त (आरआर) के प्रतिशत के रूप में					
प्रतिबद्ध व्यय					
वेतन और मजदूरी	23.49	28.21	26.12	22.67	26.44
पेंशन पर व्यय	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
ब्याज भुगतान	5.84	6.86	6.64	5.21	5.45
कुल	29.34	35.08	32.77	27.88	31.90
राजस्व व्यय (रा.व्य.) के प्रतिशत के रूप में					
वेतन और मजदूरी	27.93	29.22	27.97	29.46	29.84
पेंशन पर व्यय	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ब्याज भुगतान	6.94	7.11	7.11	6.77	6.15
कुल	34.88	36.34	35.09	36.24	35.99
राजस्व व्यय	39,637	40,414	46,043	48,246	50,336
राजस्व व्यय में अपरिवर्तनीय व्यय का प्रतिशत	30.03	28.05	26.19	30.40	27.81
गैर-प्रतिबद्ध रा.व्य. **	25,811.53	25,727.31	29,887.14	30,761.95	32,219.50
रा.व्य. का प्रतिशत	65.12	63.66	64.91	63.76	64.00
कु.व्य. का प्रतिशत ***	53.36	52.29	52.47	51.79	52.97
सब्सिडी	3,592.94	4,176.87	4,690.20	4,632.92	4,839.63
गैर-प्रतिबद्ध रा.व्य. के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	13.92	16.24	15.69	15.06	15.02

* दिल्ली में पूर्व विधायकों और स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन सहित

** गैर-प्रतिबद्ध रा.व्य. = राजस्व व्यय में से राजस्व प्रतिबद्ध व्यय घटाकर

*** सार्वजनिक ऋण को छोड़कर

वेतन और मजदूरी

वेतन और मजदूरी पर व्यय 2019-20 के ₹ 11,070.04 करोड़ से 35.66 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में ₹ 15,017.82 करोड़ हो गया।

पेंशन

रा.रा.क्षे.दि.स. की पेंशन देनदारियां (दिल्ली में पूर्व विधायकों और स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन देनदारियों को छोड़कर) भारत सरकार द्वारा वहन की जाती हैं, जो 2023-24 में ₹ 2,023 करोड़ थी। दिल्ली में पूर्व विधायकों और स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के संदर्भ में रा.रा.क्षे.दि.स. की पेंशन देनदारियां 2023-24 में ₹ 4.37 करोड़ थीं।

2.4.2.3 सब्सिडी

रा.रा.क्षे.दि.स. महिला बस यात्रियों को (डीटीसी/क्लस्टर बसों के माध्यम से), दिल्ली जल बोर्ड और डिस्कॉम के उपभोक्ताओं को, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन आदि के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा सब्सिडियों पर किया गया व्यय तालिका 2.17 में दर्शाया गया है। 2019-2024 की अवधि के दौरान सब्सिडी पर किए गए व्यय में 34.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

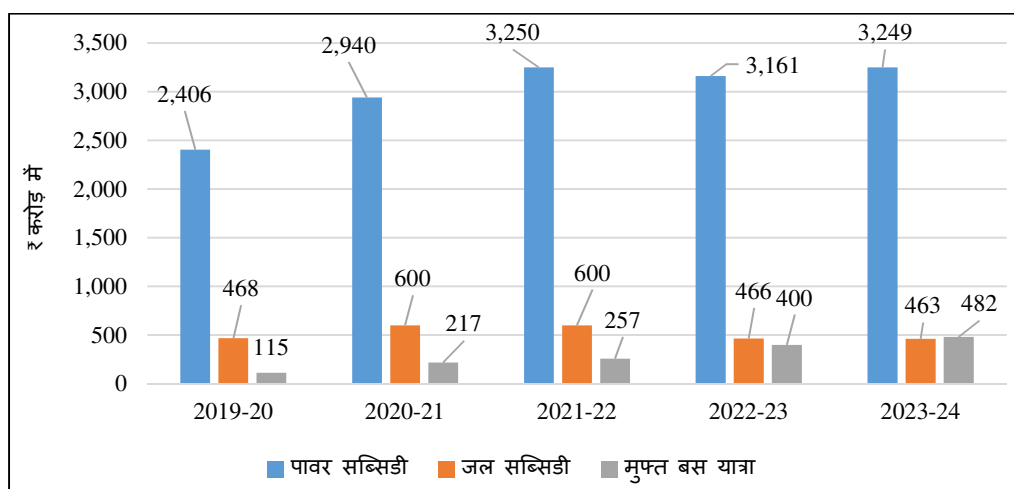
तालिका 2.17: 2019-20 से 2023-24 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सब्सिडी	3,593	4,177	4,690	4,633	4,840
राजस्व प्राप्तियां	47,136	41,864	49,313	62,703	56,798
राजस्व व्यय	39,637	40,414	46,043	48,246	50,336
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी (प्रतिशत में)	7.62	9.98	9.51	7.39	8.52
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी (प्रतिशत में)	9.06	10.34	10.19	9.60	9.62

इसके अतिरिक्त, 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा डिस्कॉम (पावर सब्सिडी), दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) (जल सब्सिडी) और महिला बस यात्रियों (डीटीसी/क्लस्टर बसों के माध्यम से मुफ्त बस यात्रा) के माध्यम से उपभोक्ताओं को दी गई सब्सिडी नीचे चार्ट 2.7 में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.7: पावर, पानी और मुफ्त बस यात्रा के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दी गई सब्सिडी की प्रवृत्ति



उपर्युक्त चार्ट 2.7 से यह देखा जा सकता है कि डिस्कॉम उपभोक्ताओं को दी जाने वाली पावर सब्सिडी, डीजेबी को दी जाने वाली जल सब्सिडी और डीटीसी/क्लस्टर बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं को मुफ्त यात्रा में पांच वर्ष की अवधि (2019-24) के दौरान क्रमशः 35.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई, 1.07 प्रतिशत की कमी हुई और 319.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने बताया (सितंबर 2024) कि संबंधित विभागों से इन वर्षों के दौरान भिन्नता के कारण प्रतीक्षित थे।

2.4.2.4 रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को अनुदान, क्षतिपूर्ति और आबंटन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विवरण नीचे तालिका 2.18 (क) में दर्शाया गया है:

तालिका 2.18 (क): स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता¹²

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
(क) स्थानीय निकाय					
1. एमसीडी	0	0	0	4,456	8,362
2. एनडीएमसी	-104	166	272	624	216
3. दिल्ली छावनी बोर्ड	15	15	11	16	18
4. ईडीएमसी, एसडीएमसी, नॉर्थ डीएमसी	6,326	5,334	5,218	2,484	-

¹² इसमें जीआईए और क्षतिपूर्ति और आबंटन शामिल हैं

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल (क)	6,237	5,515	5,501	7,580	8,596
(ख) अन्य					
दिल्ली जल बोर्ड	2,855	4,319	2,462	4,106	4,110
दिल्ली परिवहन निगम	2,030	2,475	2,320	2,350	2,900
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	379	833	384	262	309
अन्य (दिल्ली मेट्रो रेल निगम, उच्च शिक्षा संस्थान, तकनीकी शिक्षा संस्थान, अस्पताल, सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ आदि सहित)	4,732	3,501	5,451	3,927	4,771
कुल (ख)	9,996	11,128	10,617	10,645	12,090
कुल (क+ख)	16,233	16,643	16,118	18,225	20,686

तालिका 2.18 (क) से यह देखा जा सकता है कि 2023-24 के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य को वित्तीय सहायता में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 13.41 प्रतिशत और 13.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह भी देखा गया कि वेतन घटक पर सहायता ने 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान 5.61 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर पर लगातार बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई है।

2019-2024 की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा वितरित सहायता अनुदान के घटक को तालिका 2.18 (ख) में दर्शाया गया है।

तालिका 2.18 (ख): रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा वितरित सहायता अनुदान¹³ के घटक

(₹ करोड़ में)

रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा वितरित जीआईए के घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वेतन पर जीआईए	4,467	4,598	4,628	5,298	5,579
पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	1,563	1,121	804	2,031	2,192
जीआईए- सामान्य	4,703	6,834	8,083	7,813	9,276
जीआईए वस्तु के रूप में दिया गया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल जीआईए	10,733	12,553	13,515	15,142	17,047
रा.रा.क्षे.दि.स. राजस्व व्यय	39,637	40,414	46,043	48,246	50,336
रा.रा.क्षे.दि.स. राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वितरित किया गया जीआईए	27.07	31.06	29.35	31.38	33.87

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. से प्राप्त सूचना

राजस्व घाटा अनुदान:

दो संस्थाएं अर्थात् दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) राजस्व अनुदानों के माध्यम से अपनी व्यवहार्यता अंतर के वित्त-पोषण के लिए राष्ट्रीय

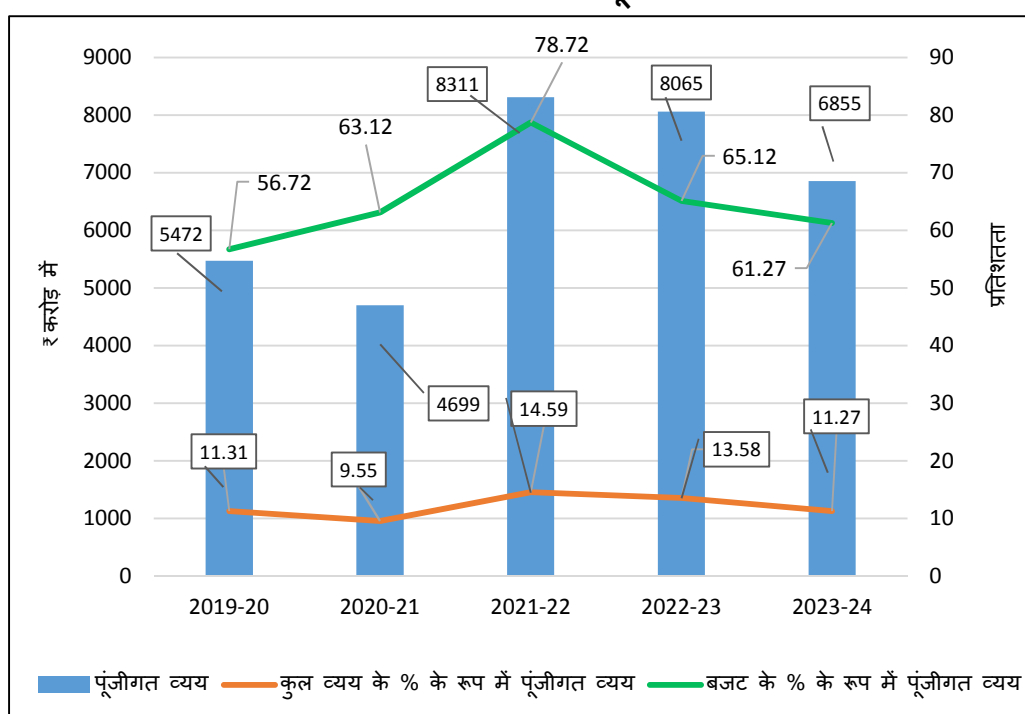
¹³ जीआईए के अधिक ब्योरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त लेखाओं के विवरण 10 के परिशिष्ट में उपलब्ध हैं

राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार पर निर्भर थीं क्योंकि उनका राजस्व प्रचालनात्मक लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान, रा.रा.क्षे.दि.स. ने डीजेबी और डीटीसी को क्रमशः ₹ 360.36 करोड़¹⁴ और ₹ 12,075 करोड़ वितरित किए थे।

2.4.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय में स्थायी अवसंरचना परिसंपत्तियों जैसे सड़कों, भवनों आदि के निर्माण पर किया गया व्यय शामिल है। पूंजीगत व्यय की प्रवृत्तियां चार्ट 2.8 में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 2.8: रा.रा.क्षे.दि.स. में पूंजीगत व्यय



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.8 से यह देखा जा सकता है कि चालू वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत की कमी आई है। इसके अतिरिक्त, 2019-20 से 2023-24 के दौरान, पूंजीगत व्यय लगातार पूंजीगत बजट से कम रहा है। उक्त अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय स.रा.घ.उ. के 1 प्रतिशत से लगातार कम रहा।

2.4.3.1 पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

पूंजीगत व्यय के मुख्य शीर्षों में परिवर्तन तालिका 2.19 में दर्शाए गए हैं।

¹⁴ 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं

तालिका 2.19: 2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष (एमएच)	2022-23	2023-24	वृद्धि (+)/ कमी (-) प्रतिशत में
4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	331.67	199.99	(-) 39.70
4202- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	1,249.51	722.35	(-) 42.19
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	1,745.71	875.05	(-) 49.87
4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	1,439.46	916.12	(-) 36.36
5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	1,556.12	1,936.14	(+) 24.42
5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	1,026.07	1,448.47	(+) 41.17

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपर्युक्त तालिका 2.19 से यह देखा जा सकता है कि चालू वर्ष के दौरान लोक निर्माण, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, शहरी विकास, सड़क और पुल और सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय में पिछले वर्ष की तुलना में (-) 49.87 प्रतिशत से 41.17 प्रतिशत की सीमा में परिवर्तन क्रमशः 'निर्माण' पर व्यय में कमी (47.67 प्रतिशत), 'माध्यमिक शिक्षा' पर व्यय में कमी (51.88 प्रतिशत), 'अस्पताल और औषधालयों' पर व्यय में कमी (49.68 प्रतिशत), 'भूमि' पर व्यय में कमी (44.04 प्रतिशत), 'सड़क कार्यों' पर व्यय में वृद्धि (83.85 प्रतिशत) और 'रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर' पर व्यय में वृद्धि (100 प्रतिशत) के कारण हुआ।

2.4.3.2 निवेश और रिटर्न

31 मार्च 2024 तक, सरकारी कंपनियों और सहकारी संस्थानों में सरकारी निवेश ₹ 21,437 करोड़ था। पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में निवेश में ₹ 383 करोड़ की वृद्धि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में किए गए निवेश के कारण हुई थी। 2023-24 में निवेश पर रिटर्न 0.82 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2023-24 के दौरान अपने उधार पर 8.18 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया। विवरण नीचे तालिका 2.20 में दिया गया है:

तालिका 2.20: निवेश पर रिटर्न

निवेश/रिटर्न/उधार की लागत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में) (क)	19,411	19,911	20,711	21,054	21,437
रिटर्न (₹ करोड़ में)	15.84	9.80	89.58	103.79	175.05
रिटर्न (प्रतिशत) (ख)	0.08	0.05	0.43	0.49	0.82
सरकारी उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत) (ग)	8.14	7.59	7.91	7.96	8.18

निवेश/रिटर्न/उधार की लागत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
ब्याज दर और रिटर्न के बीच अंतर (प्रतिशत) (ख- ग)	(-)8.06	(-)7.54	(-)7.48	(-)7.47	(-)7.36
वर्ष के अंत में सरकारी उधार पर ब्याज और निवेश पर रिटर्न के बीच अंतर [(ख-ग)*क]	(-)1,565	(-)1,501	(-)1,549	(-)1,573	(-)1,577

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपर्युक्त तालिका 2.20 से यह देखा जा सकता है कि पांच वर्ष की अवधि (2019-24) के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश में 10.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने उक्त अवधि के दौरान उधारों पर 7.59 प्रतिशत से 8.18 प्रतिशत तक ब्याज का भुगतान किया जबकि उसी अवधि के दौरान निवेशों से रिटर्न का प्रतिशत 0.05 प्रतिशत से 0.82 प्रतिशत (ऐतिहासिक लागत पर) के बीच रहा। पांच वर्षों के दौरान संवितरित और वसूल किए गए ऋण तालिका 2.21 में दिए गए हैं।

तालिका 2.21: पांच वर्षों के दौरान संवितरित और वसूल किए गए ऋणों की मात्रा

(₹ करोड़ में)

संवितरित और वसूल किए गए ऋणों की मात्रा	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
बकाया ऋणों का प्रारंभिक शेष	64,570	67,014	70,473	72,454	74,280
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	3,266	4,090	2,604	3,084	3,639
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	823	631	623	1,258	98
बकाया ऋणों का अंतिम शेष	67,014	70,473	72,454	74,280	77,821
निवल जोड़	2,444	3,459	1,981	1,826	3,541
प्राप्त ब्याज	404	468	336	46	339
बकाया ऋणों और अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्ति	0.61	0.66	0.46	0.06	0.45
सरकार के बकाया उधारों पर भुगतान की गई ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	8.14	7.59	7.91	7.96	8.18
भुगतान की गई ब्याज दर और प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर (प्रतिशत)	7.53	6.93	7.45	7.90	7.73

तालिका 2.21 से यह देखा जा सकता है कि पांच वर्ष की अवधि (2019-2024) के दौरान, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा अग्रिम ऋणों में 11.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई, परंतु उनकी वसूली में 88.09 प्रतिशत की कमी आई। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान ब्याज प्राप्ति में 16.09 प्रतिशत की कमी आई और यह 2023-24 के दौरान बकाया ऋणों और अग्रिमों का केवल 0.45 प्रतिशत था।

वर्ष के आरंभ में दिल्ली जल बोर्ड (₹ 34,539.69 करोड़), दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (₹ 1,048.56 करोड़) और दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम

लिमिटेड (₹ 4.36 करोड़) के प्रति ₹ 35,592.61 करोड़ के ऋण बकाया थे। दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को पूर्व के ऋणों की वसूली किए बिना ₹ 2,844.44 करोड़ के नए ऋण वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और दिल्ली अनुसूचित जाति वित्तीय निगम को दिए गए ₹ 17.93 करोड़ के ऋणों की आरंभिक अवधि क्रमशः 1998-99 और 1987-88 से संबंधित थी।

2.4.3.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई), रा.रा.क्षे.दि.स. की इक्विटी और बकाया ऋणों का वित्त लेखाओं के आंकड़ों के साथ मिलान

राज्य पीएसई के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी और बकाया ऋणों के संबंध में आंकड़े रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं में दर्शाए गए आंकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि आंकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो संबंधित एसपीएसई और वित्त विभाग को अंतर का समाधान करना चाहिए। 31 मार्च 2024 तक इक्विटी और ऋण के आंकड़ों में अंतर नीचे तालिका-2.22 में दिया गया है:

तालिका 2.22: राज्य पीएसई के अभिलेखों की तुलना में वित्त लेखाओं के अनुसार इक्विटी और बकाया ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	इक्विटी और बकाया ऋण		अंतर
	वित्त लेखा के अनुसार	एसपीएसई के अभिलेखों के अनुसार	
कुल इक्विटी	9,297.91	9,202.49	95.42
कुल ऋण	15,504.03	12,174.24	3,329.79

स्रोत: एसपीएसई के अभिलेख और वित्त लेख, रा.रा.क्षे.दि.स.

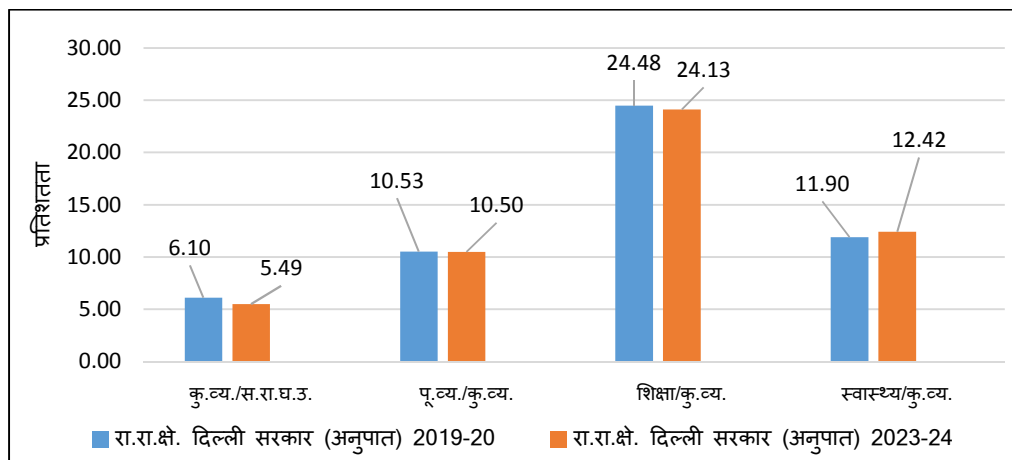
इक्विटी में आंकड़ों के बीच अंतर डीटीआईडीसी (₹ 95.42 करोड़) से संबंधित है और ऋणों में डीएसएफडीसी (₹ 1.58 करोड़), डीपीसीएल (₹ 3,326.39 करोड़), डीएससीएससी (₹ 2.22 करोड़), डीटीटीडीसी (₹ 3.15 करोड़) और पीपीसीएल ((-) ₹ 3.55 करोड़) से संबंधित है।

यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार और एसपीएसई समयबद्ध तरीके से इस अंतर को सुलझा लें।

2.4.4 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

चार्ट 2.9 वर्ष 2019-20 और 2023-24 के दौरान पूंजीगत व्यय, शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय के संबंध में रा.रा.क्षे.दि.स. की राजकोषीय प्राथमिकता को दर्शाता है।

चार्ट 2.9: 2019-20 और 2023-24 के दौरान सार्वजनिक व्यय (प्रतिशत में) में प्राथमिकता



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

कु.व्य.=कुल व्यय = राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + ऋण और अग्रिम; पूं.व्य. = पूंजीगत व्यय (सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर);

उपर्युक्त चार्ट 2.9 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2019-20 की तुलना में 2023-24 के दौरान (i) स.रा.घ.उ. में कु.व्य., (ii) कु.व्य. में पूं.व्य. और (iii) कु.व्य. में शिक्षा पर व्यय के अनुपात में कमी आई और 2019-20 की तुलना में चालू वर्ष में कु.व्य. की तुलना में स्वास्थ्य पर व्यय के अनुपात में मामूली वृद्धि हुई।

व्यय की गुणवत्ता

2019-20 से 2023-24 के बीच सब्सिडी और उ.प्र. नहीं देने वाले निकायों को सहायता अनुदान का व्यय ₹ 4,541 करोड़ (36.48 प्रतिशत) बढ़ गया है, जबकि पूंजी सृजन, जो भविष्य का राजस्व स्रोत है, लोक निर्माण, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 40 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 42 प्रतिशत से 2023-24 के दौरान कम हो गया।

यह इस संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति, जो राज्य राजस्व प्राप्तियों में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है, अपने समापन चरण में पहुंच गया है।

अगली अपेक्षा

इस प्रकार अनुत्पादक व्यय को राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है।

2.5 सार्वजनिक दायित्व प्रबंधन

जैसाकि इसके वित्त लेखाओं¹⁵ में दर्शाया गया है, रा.रा.क्षे.दि.स. को खुले बाजार से ऋण जुटाने की शक्ति प्राप्त नहीं है। आवश्यक सभी ऋण भारत की संचित निधि से इसके लिए दिए जाते हैं। भारत सरकार से प्राप्त ऋणों और अग्रिमों में रा.रा.क्षे.दि.स. की ऋण प्राप्तियां शामिल हैं।

2.5.1 सरकारी खातों के बाहर निधि

क) भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर

बीओसीडब्ल्यू उपकर नियमावली, 1998 में यह प्रावधान है कि एकत्र किए गए उपकर को राज्य की लेखा प्रक्रियाओं के अंतर्गत बोर्ड के लेखा शीर्ष में दिल्ली भवन एवं अन्य श्रमिक कल्याण बोर्ड (बोर्ड) को अंतरित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि श्रम आयुक्त, रा.रा.क्षे.दि.स. के कार्यालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया था (अगस्त, 2005) जिसमें सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य सरकारी निकायों को श्रमिक कल्याण उपकर के रूप में अनुमोदित निर्माण लागत की 1 प्रतिशत राशि खाता आदाता चैक के माध्यम से बोर्ड को प्रेषित करने का निदेश दिया गया था। बाद में, बोर्ड ने आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से सीधे संबंधित जिले के बैंक खाते में एकत्रित उपकर को अंतरित करने के निर्देश जारी किए (नवंबर 2017)।

नीचे तालिका 2.23 में दर्शाए गए विवरण के अनुसार ₹ 4,340.38 करोड़ 31 मार्च 2024 तक बोर्ड के खाते में जमा थे।

तालिका 2.23: 2023-24 तक उपकर की प्राप्तियों और उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक प्राप्तियां				वास्तविक व्यय			शुद्ध प्राप्तियां
	एकत्र किया गया उपकर	लाभार्थियों का योगदान	अर्जित ब्याज	कुल	योजना पर व्यय	प्रशासनिक-व्यय	कुल व्यय	
1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7	8 (6+7)	9 (5-8)
प्रारंभिक शेष								3,536.75
2023-24	521.38	0.70	298.44	820.52	8.92	5.50	14.42	806.10
घटा: मार्च 2024 तक काटौती/जमा किया गया आय कर								2.47
उपलब्ध निवल राशि								4,340.38

¹⁵ विवरण-3

लेखापरीक्षा का विचार है कि एकत्रित श्रम उपकर प्राप्तियां सरकारी प्राप्तियां थीं और मुख्य लेखा शीर्ष (श्रम और रोजगार - 0230) में जमा करके सरकारी खाते का हिस्सा होना चाहिए था और इसे मुख्य शीर्ष (श्रम और रोजगार-2230) को डेबिट करके बोर्ड को अंतरित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, उपकर को सरकारी खातों में लाए बिना सीधे बोर्ड को अंतरित करके उसके लेखांकन के लिए अपनाई गई प्रणाली बीओसीडब्ल्यू उपकर नियमावली के अनुरूप नहीं है।

इसके अतिरिक्त, पिछले पांच वर्षों में एकत्रित उपकर से औसत वार्षिक व्यय केवल ₹ 126.96 करोड़ रहा है जबकि औसत वार्षिक उपकर संग्रह ₹ 519 करोड़ रहा है। व्यय की प्रवृत्तियों को देखते हुए, सरकार को योजनाओं की समीक्षा करने और पंजीकृत श्रमिकों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय में पर्याप्त वृद्धि करने की आवश्यकता है ताकि श्रम कल्याण उपकर के संग्रह के एकमात्र उद्देश्य को पूरा किया जा सके।

यह पैरा 2024 के प्रतिवेदन सं. 2 में भी शामिल है। बोर्ड और श्रम विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी, 2025)।

(ख) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग निधि का गैर-संचालन

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 103 में प्रावधान है कि राज्य सरकार एक निधि का गठन करेगी जिसे राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि (एसईआरसीएफ) कहा जाएगा और उसमें राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोग को दिए गए किसी भी अनुदान और ऋण, अधिनियम के तहत राज्य आयोग द्वारा प्राप्त सभी शुल्क और आयोग द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियां जो राज्य सरकार द्वारा तय की जाएंगी, जमा की जाएंगी। तदनुसार, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार डीईआरसीएफ के सृजन के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. से अनुरोध किया था (जुलाई 2003, मई 2024)।

लगभग दो दशक बीत जाने के बावजूद निधि का गठन नहीं होने पर लेखापरीक्षा आपत्ति जताती रही है। परिणामस्वरूप, लाइसेंस/प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में डीईआरसी द्वारा प्राप्त ₹ 14.21 करोड़ (2023-24 के दौरान) की राशि अनिवार्य निधि के माध्यम से अग्रेषित नहीं की गई थी। जैसा कि 2024 के पिछले

प्रतिवेदन संख्या 2 में है; अपने उत्तर में, डीईआरसी ने कहा (सितंबर 2024) कि डीईआरसी निधि बनाने की प्रक्रिया चल रही थी।

2.5.2 ऋण प्रोफाइल: घटक

तालिका 2.24 पिछले पांच वर्षों के लिए रा.रा.क्षे.दि. सरकार के ऋण प्रोफाइल की एक समय श्रृंखला विश्लेषण देती है।

तालिका 2.24: भारत सरकार से ऋण और रा.रा.क्षे.दि.स. के ऋण की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	ऋण प्राप्ति	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी का प्रतिशत
2019-20	32,812.34	4,765.60	2,811.10	34,766.84	1,954.50	5.96
2020-21	34,766.84	15,365.00	3,265.17	46,866.67	12,099.83	34.80
2021-22	46,866.67	11,192.67	4,215.16	53,844.18	6,977.51	14.89
2022-23	53,844.18	3,251.22	4,715.16	52,380.24	(-)1,463.94	(-)2.72
2023-24	52,380.24	0	4,993.69	47,386.55	(-) 4,993.69	(-) 9.53

2.5.3 ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान प्रोफाइल

ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान प्रोफाइल सरकार की ओर से ऋण पुनर्भुगतान या ऋण सेवा के लिए प्रतिबद्धता को इंगित करता है। सार्वजनिक ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल (₹ 47,386.55 करोड़) तालिका 2.25 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.25: राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता प्रोफाइल

ऋण का पुनर्भुगतान				
पुनर्भुगतान की अवधि	भारत सरकार [#] से ऋण और अग्रिम (मूलधन) पुनर्भुगतान के लिए देय (₹ करोड़ में)	पुनर्भुगतान के लिए देय ब्याज (₹ करोड़ में)	कुल (₹ करोड़ में)	ऋण का प्रतिशत (मूलधन (ii) पर दर्शाया गया है)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
			[(ii) + (iii)]	[(ii)*100/47386.55]
2024-25	4,914.32	2,666.08	7,580.40	10.37
2025-26	4,641.66	2,246.19	6,887.85	9.80
2026-27	4,253.71	1,853.16	6,106.87	8.98
2027-28	4,084.15	1,498.63	5,582.78	8.62
2028-29	3,893.52	1,159.01	5,052.53	8.22
2029-30	3,393.12	835.41	4,228.53	7.16
2030-31	2,752.44	555.71	3,308.15	5.81
2031-32	1,507.61	332.33	1,839.94	3.18
2032-33	807.51	207.26	1,014.77	1.70
2033-34	445.08	137.70	582.78	0.94
2034-35	423.65	95.41	519.06	0.89

ऋण का पुनर्भुगतान				
पुनर्भुगतान अवधि की	भारत सरकार [#] से ऋण और अग्रिम (मूलधन) पुनर्भुगतान के लिए देय (₹ करोड़ में)	पुनर्भुगतान के लिए देय ब्याज (₹ करोड़ में)	कुल (₹ करोड़ में)	ऋण का प्रतिशत (मूलधन (ii) पर दर्शाया गया है)
2035-36	335.20	55.17	390.37	0.71
2036-37	115.75	23.32	139.07	0.24
2037-38	87.95	12.33	100.28	0.19
2038-39	41.83	3.97	45.80	0.09
कुल	31,697.50*	11,681.68	43,379.18**	66.89
अन्य	15,689.05***			33.11
कुल योग	47,386.55			100.00

नोट: * और ** यह केवल एनएसएसएफ ऋण के पुनर्भुगतान से संबंधित है। इसमें ₹ 0.03 करोड़ का अंतर है जिसका कारण आंकड़ों को पूर्णांकित करना है।

*** इसमें ₹ 12,058 करोड़ के जीएसटी मुआवजे के प्रति भारत सरकार से बैंक-टू-बैंक ऋण, 2013-14 के दौरान डीईएसयू के बकाये के निपटान के लिए भारत सरकार से प्राप्त ऋण, चंद्रावल (2018-19) में डब्ल्यूटीपी का पुनः स्थापन आदि शामिल हैं।

सभी ऋण भारत की समेकित निधि से रा.रा.क्षे.दि.स. को दिए जाते हैं।

उपर्युक्त तालिका 2.25 के अनुसार सार्वजनिक ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल इंगित करती है कि 2024-25, 2025-27, 2027-29, 2029-31 की अवधि के दौरान ऋण (ब्याज को छोड़कर) चुकाने के लिए राज्य की देयता क्रमशः ₹ 4,914.32 करोड़ (10.37 प्रतिशत), ₹ 8,895.37 करोड़ (18.77 प्रतिशत), ₹ 7,977.67 करोड़ (16.84 प्रतिशत) और ₹ 6,145.56 करोड़ (12.97 प्रतिशत) होगी। इसके अतिरिक्त, कुल सार्वजनिक ऋण का ₹ 3,764.58 करोड़ (7.94 प्रतिशत) सात वर्षों के बाद चुकाने योग्य होगा।

2.6 ऋण धारणीयता

ऋण धारणीयता विश्लेषण राजकोषीय और ऋण मापदंडों और डोमर¹⁶ दृष्टिकोण के आधार पर किया गया है। विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित पैराग्राफ में दिए गए हैं:

रा.रा.क्षे.दि.स. के ऋण की मात्रा के अतिरिक्त, ऋण धारणीयता निर्धारित करने वाले विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। XI केंद्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एफआरबीएम अधिनियम दिल्ली पर लागू नहीं होता है।

¹⁶ डोमर गैप लक्षित आर्थिक विकास दर के लिए आवश्यक निवेश और उस निवेश के लिए उपलब्ध संसाधनों के बीच का अंतर है। इस गणना का विकासशील देशों में आर्थिक विकास का विश्लेषण करने के लिए हारोड-डोमर मॉडल में प्रयोग किया जाता है।

क. ऋण धारणीयता से तात्पर्य किसी राज्य की भविष्य में अपने ऋण के पुनर्भुगतान की क्षमता से है। इस भाग में रा.रा.क्षे.दि.स. के वृद्धि दर, बकाया ऋण, ब्याज भुगतान और राजस्व प्राप्तियों के अनुपात, ऋण पुनर्भुगतान और ऋण प्राप्तियों तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के लिए उपलब्ध निवल ऋण के संदर्भ में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के ऋण की धारणीयता का आकलन करता है। तालिका 2.26 में 2019-20 से 2023-24 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए इन संकेतकों के अनुसार रा.रा.क्षे.दि.स. की ऋण धारणीयता का विश्लेषण करती है।

तालिका 2.26: ऋण धारणीयता: संकेतक और प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	ऋण धारणीयता संकेतक	वर्ष 1 (2019-20)	वर्ष 2 (2020-21)	वर्ष 3 (2021-22)	वर्ष 4 (2022-23)	वर्ष 5 (2023-24)
1	समग्र देयता या समग्र ऋण, जिनमें से####	34,766.84	41,001.67	41,786.18	40,322.24	35,328.55
1क	ब्याज रहित ऋण (आरक्षित निधि और जमा)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1ख	समग्र देयता या समग्र ऋण ('ब्याज रहित ऋण' को छोड़कर)@	34,766.84	41,001.67	41,786.18	40,322.24	35,328.55
2	समग्र ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.96	17.93	1.91	-3.50	-12.38
3	स.रा.घ.उ. (नॉमिनल रूप में) (₹ लाख करोड़ में)	7.93	7.44	8.81	10.15	11.08
4	नॉमिनल स.रा.घ.उ. वृद्धि (प्रतिशत)	7.38	-6.13	18.41	15.13	9.17
5	कुल ऋण/स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	4.38	5.51	4.74	3.97	3.19
6	सभी प्रकार के ऋणों की परिपक्वता प्रोफाइल (लोक लेखा के अंतर्गत देयताओं सहित, यदि कोई हो)					
6क	0-2 वर्ष	रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं में परिपक्वता प्रोफाइल उपलब्ध नहीं है और वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर 2022-23 और 2023-24 के लिए एसएफएआर में शामिल किया जा रहा है।			9,908	9,556
6ख	2-5 वर्ष				12,980	12,231
6ग	5-10 वर्ष				12,354	8,906
6घ	10 वर्षों से अधिक				1,449	1,004
7	सकल ऋण (क्रमांक सं. 1 पर समग्र ऋण के लिए जिम्मेदार मदों के अनुरूप)####	4,765.60	9,500.00	4,999.67	3,251.22	0.00
8	ऋणों का पुनर्भुगतान (मूलधन और ब्याज भुगतान सहित समग्र ऋण के लिए जिम्मेदार मदों के अनुरूप)	2,811.10	3,265.17	4,215.16	4,715.16	4,993.69
9	सकल ऋण का पुनर्भुगतान (प्रतिशत) (8/7*100)	59.0	34.4	84.3	145.0	अनिर्धारित क्योंकि वर्ष में उधार शून्य थे
10	निवल ऋण\$ सकल ऋण के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध है	41.0	65.6	15.70	-45.0	
11	समग्र ऋण पर ब्याज भुगतान	2,751.87	2,873.83	3,274.24	3,266.36	3,094.31
12	समग्र ऋण पर प्रभावी ब्याज की दर (प्रतिशत)##	8.14	7.59	7.91	7.96	8.18
13	राजस्व प्राप्तियां (आरआर)	47,136	41,864	49,313	62,703	56,798
14	राजस्व व्यय (रा.व्य.)	39,637	40,414	46,043	48,246	50,336
15	राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान (प्रतिशत)	5.8	6.9	6.6	5.2	5.4

वर्ष 2023-24 के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन

क्रम. सं.	ऋण धारणीयता संकेतक	वर्ष 1 (2019-20)	वर्ष 2 (2020-21)	वर्ष 3 (2021-22)	वर्ष 4 (2022-23)	वर्ष 5 (2023-24)
16	प्राथमिक राजस्व शेष (पीआरबी) (13-14+11)@@	10,251	4,324	6,544	17,723	9,556
17	राजकोषीय शेष	-416	-6,708	-7,021	4,566	-3,934
18	प्राथमिक शेष (पीबी) (17+11)#	2,336	-3,834	-3,747	7,832	-840
19	पीबी/स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	0.29	-0.52	-0.43	0.77	-0.08
20	वितरित बकाया ऋण और अग्रिम	67,014	70,473	72,454	74,280	77,821
21	संवितरित बकाया ऋण और अग्रिमों पर ब्याज प्राप्तियां	404	468	336	46	339
22	निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) \$	0.61	0.68	0.47	0.06	0.45
23	समग्र देयता पर प्रभावी ब्याज की दर और आरओआई के बीच अंतर	-7.53	-6.91	-7.44	-7.89	-7.73
24.	चलनिधि प्रबंधन (आरबीआई के पास उपलब्ध वित्तीय साधनों का उपयोग) (अवसरों की संख्या में)					
25	ब्याज/दर स्प्रेड*	-0.76	-13.72	10.51	7.17	0.99
26	क्वांटम स्प्रेड**	-264	-5,625	4,390	2,893	350
27	ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम स्प्रेड + प्राथमिक शेष)	2,072	-9,459	643	10,725	-490
28	डोमर मानदंड					
क	स.रा.घ.उ. (स्थिर शर्तों में) (₹ लाख करोड़ में)	5.86	5.34	5.80	6.26	6.72
ख	वास्तविक विकास (स्थिर शर्तों में)	3.69	-8.96	8.76	7.85	7.39
ग	सीपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत)	3.74	3.03	5.97	4.00	2.55
घ	क्र.सं. 12 के अनुसार समग्र ऋण पर ब्याज की प्रभावी दर	8.14	7.59	7.91	7.96	8.18
ड.	वास्तविक प्रभावी ब्याज दर (प्रभावी ब्याज दर-मुद्रास्फीति) (28.घ -28.ग)	4.40	4.56	1.94	3.96	5.63
च	वृद्धि ब्याज अंतर (जीआईडी) (वास्तविक वृद्धि-वास्तविक प्रभावी ब्याज दर) (28.ख-28.ड.)	-0.72	-13.52	6.82	3.90	1.76

@ समग्र देयताओं या समग्र ऋण में सार्वजनिक ऋण (अर्थोपाय और साधन अग्रिम सहित) और सार्वजनिक खाता देयता सहित अन्य देनदारियां (ब्याज और गैर-ब्याज वाले आरक्षित निधि और जमा सहित) शामिल हैं।

@@ पीआरबी: राजस्व प्राप्तियां - राजस्व व्यय (ब्याज भुगतान का निवल), जहां (-) पीबी का तात्पर्य प्राथमिक घाटा और इसके विपरीत है।

#पीबी: कुल प्राप्तियां (ऋणों का निवल)-कुल व्यय (ब्याज भुगतानों का निवल), जहां (-) पीबी का तात्पर्य प्राथमिक घाटा और इसके विपरीत है।

प्रभावी ब्याज दर: पिछले और चालू वित्त वर्ष के ब्याज भुगतान/औसत बकाया ऋण। इसकी गणना गैर-ब्याज वाले आरक्षित निधि और जमा राशियों को छोड़कर की जा सकती है।

जीएसटी मुआवजे के बदले 2020-21 और 2021-22 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ₹ 5,865 करोड़ और ₹ 6,193 करोड़ के बैंक टू बैंक ऋण शामिल नहीं हैं, जिसमें राज्य के लिए कोई पुनर्भुगतान दायित्व नहीं है।

* ब्याज/दर प्रसार: स.रा.घ.उ. नॉमिनल वृद्धि - समग्र ऋण पर ब्याज की प्रभावी दर।

** क्वांटम स्प्रेड: ब्याज स्प्रेड x ऋण

\$निवल ऋण (एनएल): बकाया ऋण और अग्रिम वितरित (ऋण और अग्रिम संवितरित - निवल वसूली)।

\$\$ प्रभावी ब्याज प्राप्तियां (आरओआई): ब्याज प्राप्तियां/औसत बकाया ऋण और पिछले और चालू वित्त वर्ष के वितरित अग्रिम

उपर्युक्त तालिका 2.26 से निम्नलिखित बातें सामने आती हैं:

- (i) वर्ष 2022-23 में सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों का पूरा अनुपात उधारों के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया गया था, जबकि 2019-20 से 2021-22 के दौरान पुनर्भुगतान 34 प्रतिशत से 84 प्रतिशत तक था। शून्य ऋण प्राप्तियों के कारण 2023-24 के दौरान उक्त अनुपात अपरिभाषित है।
- (ii) स.रा.घ.उ. के सापेक्ष समग्र देनदारियों¹⁷ द्वारा मापा गया केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) दिल्ली का औसत ऋण भार 2019-2024 के दौरान लगभग 4.4 प्रतिशत रहा। पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 में मामूली गिरावट की तुलना में, इसमें 2020-21 में 1 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई, जो 2019-20 के 4.4 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 5.5 प्रतिशत हो गई। महामारी के प्रभाव को देखते हुए, राजकोषीय गिरावट ने उधार लेने की आवश्यकताओं को बढ़ा दिया, जैसा कि राजकोषीय घाटा अनुपात 2019-20 के 0.05 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 0.90 प्रतिशत हो गया, जिससे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का ऋण 2020-21 में छह वर्ष के उच्च स्तर 5.5 प्रतिशत पर पहुंच गया। महामारी के प्रभाव से उबरने के साथ, बेहतर राजकोषीय स्थिति ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को उधार पर अपनी निर्भरता कम करने में सहायता की, जैसा कि राजकोषीय घाटा - स.रा.घ.उ. अनुपात में देखा गया, जो महामारी के बाद के वर्षों में लगातार कम हुआ (2022-23 में उत्पन्न सकारात्मक समग्र संतुलन सहित)। गिरावट के प्रक्षेपवक्र के बाद, स.रा.घ.उ. के सापेक्ष दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का ऋण भार 2020-21 के 5.5 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 4.7 प्रतिशत, 2022-23 में 4.0 प्रतिशत और 2023-24 में 3.2 प्रतिशत हो गया।
- (iii) 2019-2024 की अवधि के दौरान संचित ऋण भार में वृद्धि ब्याज अंतर (जीआईडी) और प्राथमिक शेष के योगदान का विघटन करने से पता चलता है कि प्रतिकूल जीआईडी की तुलना में सकारात्मक बने रहने वाले औसत प्राथमिक शेष ने ऋण-स.रा.घ.उ. को 2021-22 से लगातार गिरावट दर्ज करने में सहायता की। वर्ष-वार विश्लेषण से पता चलता है कि प्रतिकूल

¹⁷ जैसा कि सार्वजनिक ऋण (केंद्र से ऋण और अग्रिम) द्वारा मापा जाता है, चूंकि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली का अपना अलग सार्वजनिक खाता नहीं है, केवल केंद्र सरकार के सार्वजनिक खाते के साथ विलय कर दिया गया है।

विकास ब्याज अंतर (जीआईडी) के विपरीत, 2019-20 में प्राथमिक शेष रहा, जिससे ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात में गिरावट आई। बिगड़ती जीआईडी और प्राथमिक शेष जो ऋणात्मक हो गया, ने ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को 2020-21 में 6 वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंचने दिया। जबकि लगातार अनुकूल जीआईडी और प्राथमिक शेष जो धनात्मक हो गया, ने 2022-23 में ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात में गिरावट में योगदान दिया, जीआईडी जो ऋणात्मक प्राथमिक शेष के विपरीत अनुकूल रहा, वह 2021-22 और 2023-24 में ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात में गिरावट का कारण बना।

- (iv) डोमर मापदंड से पता चलता है कि 2019-24 के दौरान जीआईडी ऋणात्मक रही क्योंकि औसत वास्तविक ब्याज दर (4.10 प्रतिशत) औसत वास्तविक वृद्धि (3.75 प्रतिशत) से आगे निकल गई, जिसका अर्थ है कि आर्थिक विकास उधार लेने की लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं रहा। आधार प्रभाव के कारण 2021-22 में महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार के बाद, आर्थिक विकास में लगातार मंदी के साथ-साथ उधार लेने की वास्तविक लागत में लगातार वृद्धि ने जीआईडी को उसके बाद गिरावट का रुख देखने के लिए विवश किया।
- (v) जीआईडी (वास्तविक रूप में) जो 2021-22 में आधार प्रभाव के कारण महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार को देखते हुए अनुकूल हो गई, आर्थिक विकास में देखी गई मंदी और उधार लेने की लागत में लगातार वृद्धि के बावजूद यह 2022-2024 के दौरान अनुकूल बनी रही। यह वास्तविक विकास का कारण हो सकती है जो उसी अवधि के दौरान वास्तविक ब्याज दर से अधिक थी। तथापि, शेष वर्षों की तुलना में 2019-20 और 2020-21 के दौरान ऋणात्मक क्षेत्र में जीआईडी के उच्च भार को देखते हुए, 2019-2024 के लिए औसत जीआईडी ऋणात्मक रही। औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति जो 3.86 प्रतिशत थी, आरबीआई द्वारा निर्धारित बैंडविड्थ (2-6 प्रतिशत) के भीतर रही।
- (vi) 2019-2024 के लिए केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के औसत स्वयं कर स.रा.घ.उ. अनुपात (7.22 प्रतिशत) और स्वयं गैर-कर स.रा.घ.उ. अनुपात (4.70 प्रतिशत) की तुलना में, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का औसत कर-

स.रा.घ.उ. अनुपात (4.52 प्रतिशत) और औसत स्वयं गैर-कर-स.रा.घ.उ. अनुपात (0.10 प्रतिशत) काफी कम है और लगभग क्रमशः 5 प्रतिशत और 0.15 प्रतिशत से नीचे स्थिर रहा, जिसका अर्थ है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली द्वारा कोई प्रभावी अतिरिक्त संसाधन नहीं जुटाया गया है। इसलिए, भौतिक और मानव पूंजी निर्माण में निरंतर निवेश व्यय के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराने और संभावित विकास को गति देने तथा प्राप्त करने के लिए, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को अतिरिक्त संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अतिरिक्त कर संसाधन मुख्य रूप से बेहतर कर संग्रह से आने चाहिए, साथ ही अनुपालन बढ़ाने के लिए प्रवर्तन को मजबूत करना चाहिए, साथ ही गैर-कर राजस्व बढ़ाने के लिए अन्य उपाय करने चाहिए। निरंतर और स्थिर विकास उपायों के साथ-साथ अतिरिक्त संसाधन जुटाने से स्वयं कर-स.रा.घ.उ. अनुपात और स्वयं-गैर-कर-स.रा.घ.उ. अनुपात में वृद्धि होती है। यह बदले में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को समग्र संतुलन में सुधार करने, ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति को बनाए रखने और मध्यम और दीर्घ अवधि में अपने ऋण पोर्टफोलियो को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में सक्षम करेगा।

2.7 निष्कर्ष

तालिका 2.27 में कुछ धनात्मक सूचकों तथा कड़ी निगरानी की आवश्यकता वाले संकेतकों का आशुचित्र दिया गया है।

तालिका 2.27: मुख्य मापदंड

धनात्मक संकेतक	कड़ी निगरानी आवश्यक मापदंड
- गैर-कर प्राप्तियां 76.25 प्रतिशत बढ़ी। - स्वयं कर प्राप्तियां 13.34 प्रतिशत बढ़ी। - सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान 5.92 प्रतिशत बढ़ा।	• राजस्व प्राप्तियां 9.42 प्रतिशत घटी। • ऋणों और अग्रिमों का संवितरण 18 प्रतिशत बढ़ा। • ऋणों और अग्रिमों की वसूली 92.21 प्रतिशत घटी। • पूंजीगत व्यय 15 प्रतिशत घटा। • डोमर गैप का तेजी से संकुचन। • सब्सिडी पर गैर-उत्पादक व्यय में वृद्धि।

